कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
गो0 ब0 पंत कृषि0 एवं प्रौ0 वि0वि0, पंतनगर

पत्राक संख्या : अ.छा.क/492 दिनांकः– 5/6/2026

सूचना

विषयः–मण्डी समिति छात्रवृत्ति केवल कृषि, मत्स्य संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिये

वर्ष 2025–26 के प्रथम वर्ष के लिये विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कृषि स्नातक, मत्सय स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों से उत्तराखण्ड कृषि मण्डी परिषद द्वारा लागू छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अधोहस्तक्षरी कार्यालय में पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.07.2026 है। दिनांक 10.07.2026 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदनकर्ता को निम्नलिखित शर्ते पूरी करना अनिवार्य हैं जो छात्र निर्धारित शर्तो को पूरा न करते हों, वे आवेदन करने हेतु अर्ह नहीं है।

उपरोक्त छात्रवृत्ति की दर रू0 3000/–प्रतिमाह की दर से मण्डी परिषद द्वारा वर्ष 2025–26 के लिये स्वीकृति की जायेगी। इच्छुक छात्र आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में पत्र प्रेषण पटल से प्राप्त कर सकते है एवं इसी पटल पर अपना पूर्ण आवेदन पत्र जमा करें।

शर्ते एवं नियम

1. विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति की संख्या निम्न प्रकार होगी:

	कृषि संकाय	मत्स्य संकाय
स्नातक स्तर के लिये	20	05
स्नातकोत्तर स्तर के लिये	05	02

2. छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के चयन में लघु एवं सीमांत कृषकों, खेतीहार मजदूरों एवं मण्डी मजदूरों के पुत्र एवं पुत्रियों तथा उन पर आश्रितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी, जिनकी परिवार की कुल आय रू0 300,000/– (रू0 तीन लाख) से अधिक नहीं है। छात्र को अपने परिवार की आय के संबंध में आय प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर आवदेन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. छात्रवृत्ति की सुविधा समस्त उत्तराखण्ड राज्य के लिए अनुमन्य होगी। पर्वतीय जनपद जहां मण्डी समितियां क्रियाशील नहीं है, ऐसे जनपदों में से जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के छात्र मण्डी समिति हल्द्वानी, जनपद–पिथौरागढ़ के छात्र मण्डी समिति टनकपुर, जनपद–टिहरी एवं उत्तरकाशी के छात्र मण्डी समिति ऋषिकेश, जनपद–चमोली एवं रूद्रप्रयाग के छात्र मण्डी समिति कोटद्वार से आच्छादित होंगे। लद्यु एवं सीमान्त कृषकों , खेतीहर मजदूरों छात्रवृत्ति का आधार मैरिट होगा। स्नातक पाठयक्रम के छात्र/छात्राओं हेतु इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में चयन की मैरिट होगा जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक स्तर के प्राप्तांक या ओ.जी.पी.ए. होगा।

4. छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा को उत्तराखण्ड का निवासी होना आवश्यक है।
5. एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर छात्रवृत्ति का देयता सम्पूर्ण पाठयक्रम के पूर्ण करने हेतु होगी। वशर्ते छात्रवृत्ति योजना मण्डी परिषद द्वारा उस समय लागू रहती हो।
6. छात्र को यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय या अन्य श्रोत से प्राप्त हो रही है तो ऐसी दशा में मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति अथवा अन्य छात्रवृत्तियों में से एक छात्रवृत्ति चुनकर अन्य छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।
7. छात्रवृत्ति की पात्रता निर्धारण हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर पाठयक्रम को समान मान (वेटेज) दिया जायेगा।
8. किसी भी छात्र के अनुवर्ती परीक्षा में असफल होने के शिक्षण परिविक्षिका आचरण परिविक्षिका पर होने की दशा में छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित समझा जायेगा। छात्र/छात्रा को सम्पूर्ण शिक्षण अवधि में अच्छा अनुशासन व आचरण रखना अनिवार्य होगा। यदि छात्र आचरण परिविक्षा में रखा जाता है तो छात्रवृत्ति उसी अवधि के लिये विड्रा कर ली जायेगी तथा आचरण परिविक्षा की समाप्ति के बाद पुनः छात्रवृत्ति दी जायेगी।
9. यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र/छात्रा ने कोई सूचना छिपायी है अथवा छिपवाई है तो बिना सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।
10. शर्त 2,3,4,5 पूरी करने के लिये आवेदन–पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य शर्ते पूरी करने के लिये छात्र एवं छात्रा के अभिवावक द्वारा शर्तानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये घोषणा पत्र छात्र के सलाहकार द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

संलग्नः– आवेदन पत्र का प्रारूप।

5.6.2026

(विपिन चन्द्र ध्यानी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

नोटः–उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिये कृषि/मत्स्य संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर सत्र 2025–26 (प्रथम वर्ष) के छात्र ही आवेदन करें।

प्रतिलिपिः–

1. अधिष्ठाता कृषि, अधिष्ठाता मत्स्य एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
2. कृषि महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सूचना पटों पर।
3. कुलसचिव/ वि0वि0 पुस्तकालय/ छात्र कल्याण विभाग के सूचना पट पर।
4. प्रभारी वि0वि0 बेवसाइट को वि0वि0 की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र

अ. कृपया आवेदन पत्र संभाल कर भरें। प्रस्तुत करने के बाद किसी परिवर्तन की अनुमति न होगी। यदि यह पाया गया कि कोई प्रविष्टि गलत है तो छात्रवृत्ति को तुरन्त रद्द किया जा सकेग।

ब. अधूरे आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

स. उत्तराखण्ड के लद्यु एवं सीमान्त कृषक / खेतीह र मजदूर के पुत्र/ पुत्रियॉ ही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकते है।

1.	पूरा नाम	
2.	आई.डी.नम्बर	
3.	महाविद्यालय का नाम	
4.	बैच	
5.	पिता का नाम	
6.	घर का वर्तमान पता	
7.	घर का स्थाई पता	
8.	निवास स्थान के मण्डी क्षेत्र का नाम	
9.	क्या छात्र लद्यु एवं सीमान्त कृषक/खेतीहर मजदूर के पुत्र/पुत्री है यदि हॉ तो सम्बन्धित तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
10.	क्या पिता/अभिभावक उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है।	
11.	क्या मण्डी क्षेत्र (जिसमें छात्र निवास करता है) में नियमन लागू हुआ है। सम्बन्धित मण्डी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।	

अन्तिम संस्था /कालेज का पूर्ण विवरण:

क्रम.स0.	संस्था/कालेज का नाम	प्रवेश तिथि	छोड़ने की तिथि	वर्ष

12.	अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	
13.	उत्तीर्ण करने का वर्ष	
14.	परिषद/ वि0वि0 का नाम जिसने छात्र की परीक्षा ली	
15.	अनुक्रमांक	
16.	कुल प्राप्तांक (वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों सहित यदि वे क्षेणी	

	निर्धारण में जुडते हो)	
17.	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी	
18.	कुल योग के अनुसार प्राप्तकों का प्रतिशत	
19.	परीक्षा में प्राप्त स्थान	
20.	यदि प्रार्थी को अन्य कोई छात्रवृत्ति/छात्रवृत्तियॉ राज्य सरकार/संस्था/व्यक्ति से प्राप्त हों तो उनका विवरण, मासिक दर तथा दिनॉक जब से छात्रवृत्ति प्राप्त की है, विवरण दें	
21.	आवेदन पत्र के साथ भेजे जा रहें संलग्नकों की विवरण यदि गेप है तो गेप का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
22.	क्या अपने किसी अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है यदि हॉ तो छात्रवृत्ति का नाम तथा सम्बन्धित संस्था का नाम एवं पता	
23.	दूरभाष/मोबाइल न.	

(जो न भेज रहे हों उसे कृप्या काट दें)

1. आय प्रमाण पत्र।
2. परिषद/विश्वविद्यालय की पिछली परीक्षा जिसे उत्तीर्ण किया हो, के प्राप्तकों की प्रमाणित प्रति।
3. प्रधानाचार्य/छात्र अधीक्षक का छात्रावास में रहने का प्रमाण पत्र।
4. स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय में चयन की मैरिट प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर के प्राप्तांक या ओ.जी.पी.ए.।
5. अन्य कोई प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र मे अंकित विवरण सही है। मैं घोषणा करता/करती हूँ। कि यदि मेरा चयन इस छात्रवृत्ति हेतु होता है मैं अपना पूरा समय अध्ययन में लगाउंगा/लगाउंगी और अन्य किसी श्रोत से कोई छात्रवृत्ति नही लूगां/लूंगी। मैंने कोई सूचना न तो छिपायी है या छिपायी है। मैंने छात्रवृत्ति स सम्बन्धिते सभी नियम व शर्तें पढ/समझ ली है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनॉकः

<u>अधिष्ठाता की आख्या</u>

श्री/श्रीमती/कु0/ .... आई.डी.न........ .... जो श्री .... के पुत्र/पुत्री है के बारे में प्रमाणित किया जाता है कि उन्हें संस्था के .... पाठ्यक्रम में जो .... वर्ष का है, भर्ती किया गया है। वह छात्रावास में नही रहता/रहती है।

अधिष्ठाता

संस्तुति

संस्था की मोहर

सलाहकार

1. भूमि

अ. स्वंतत्र रुप से स्वामी की हैसियत से (यदि पूरी भूमि या उसका अंश पटटेदारी/साझेदारी में उठा दी गई है तो इसके विवरण दें)

क. क्षेत्रफल
ख. गांव
ग. सर्वे संख्या
घ. भूमि का लगान

ब. संयुक्त रुप से स्वामी की हैसियत से

क. क्षेत्रफल
ख. गांव
ग. सर्वे संख्या
घ. भूमि का लगान

स. स्वतंत्र रुप से पट्टदार/साझेदार की हैसियत से

क. क्षेत्रफल
ख. गांव
ग. सर्वे संख्या
घ. भूमि का लगान

2. अन्य सम्पत्ति एवं उनकी आय (मकान/दुकानें आदि)

क. मकान स0
ख. गली/सडक
ग. गांव/कस्बा/शहर
घ. क्षेत्रफल

छात्र के पिता/माता के हस्ताक्षर